राजस्थान –सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ (राज.)

E-mail :– dm-pra-rj@nic.in Fax No- 01478-222262

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022–23/2535-45 दिनांक :– 17.08.2022

–:: आदेश :: –

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर के पत्र क्रमांक :– RDSA/Mines/21-22/03 दिनांक 12.07.2021 के अनुसार राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा रखती है।

उपर्युक्त वन भूमियों के बदले गैर वन भूमि प्रत्यावर्तन/विपथन हेतु आवेदक संस्था द्वारा कार्यालय हाजा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/भू.आ./2021–22/899–910 दिनांक 13.07.2021 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 1620–31 दिनांक 29.09.2021 तथा पत्र क्रमांक :– 1671–81 दिनांक 14.10.2021 के द्वारा समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उपखण्ड अधिकारी धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2021–22/6074 दिनांक 06.12.2021 तथा समसंख्यक पत्र क्रमांक :– राजस्व/2021–22/09 दिनांक 07.01.2022 के क्रम में तहसीलदार धरियावद के पत्र क्रमांक :– राजस्व/2022/766–68 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा प्रस्तावित अनुसार परियोजना क्षेत्र के काम आने वाली वन भूमि रकबा 74.2490 हैक्टर के बदले निम्नांकित अनुसार गैर वन भूमियों के विपथन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे।

क्र.सं.	तहसील क्षेत्र	प्रस्तावित भूमियों का विवरण				
		राजस्व ग्राम	आराजी संख्या	कुल रकबा हैक्टर में	किस्म भूमि	प्रस्तावित रकबा हैक्टर में
01	धरियावद	पहाड़ा	964	13.6290	बिलानाम पहाड़	4.2092
02	धरियावद	पहाड़ा	964/1	6.4800	बिलानाम पहाड़	5.4435
03	धरियावद	पहाड़ा	1457	20.1852	बिलानाम पहाड़	5.9120
04	धरियावद	पहाड़ा	1457/10	17.2800	बिलानाम पहाड़	9.9846
05	धरियावद	पहाड़ा	2070	38.8800	बिलानाम पहाड़	19.9507
06	धरियावद	मियाला	10	21.6756	बिलानाम मगरी	13.50
07	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	439/83	0.62	बंजड़	0.39
08	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	88	14.27	मगरी	8.51
09	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	11.32	मगरी	7.10
		कुल किता	09		रकबा	75

उक्त क्रम में कार्यालय के पत्र क्रमांक :– राजस्व/वन भूमि/प्रत्यार्वत/2021–22/34–34 दिनांक 12.01.2022 एवं समसंख्यक पत्र क्रमांक :– 2117 दिनांक 28.04.2022 तथा पत्र क्रमांक :– राजस्व/भू.अ./2022–23/2500 दिनांक 03.08.2022 के द्वारा उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ को लिखा जाने पर उप वन संरक्षक प्रतापगढ़ के पत्र क्रमांक :–एफ./तक./उवसं./2021–22/4898 दिनांक 05.08.2022 के द्वारा वन भूमि के बदले प्रस्तावित गैर वन भूमि को वन विभाग के नाम आवंटित/अन्तरित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान सरकार खान (ग्रुप–2) विभाग के पत्र क्रमांक :– प.10(6)खान/ग्रुप–2/2019 जयपुर दिनांक 12.05.2021 के द्वारा मैसर्स RDSA MINING LLP, पाटनी सदन, तेली मोहल्ला मदनगंज–किशनगढ़ जिला अजमेर के पक्ष में निर्देशक, खान एवं भू–विभान विभाग, उदयपुर के पत्र समसंख्यक पत्र क्रमांक :– निदे/प.2/प्रताप/डेलि/प्लॉट सं. 01/2019/2020/564 दिनांक 10.12.2020 एवं 376 दिनांक 31.03.2021 से तहसील क्षेत्र पीपलखुंट के निकटतम ग्राम दांता तहसील पीपलखुंट अन्तर्गत 74.2490 हैक्टर वन भूमि अन्तर्गत डेलिनियेट प्लॉट हेतु LOI जारी करने की मंशा पत्र में वर्णित वन भूमि रकबा की क्षतिपूर्ति हेतु उपरोक्त तालिका में वर्णितानुसार 75 हैक्टर भूमियों को विभागीय परिपत्र दिनांक 08.04.2022 के अनुक्रम में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत Set Apart की जाकर उक्त भूमि रकबा Forest Land Bank में समायोजित करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत् वन विभाग को वृक्षारोपण एवं वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तित/विपथित/आवंटित की जाती है।

जिला कलक्टर
प्रतापगढ़ (राज.)

F:\Revenue saction\Adesh.doc

तहसीलदार धरियावद/प्रतापगढ़ आरक्षित/आवंटित भूमि का भौतिक रूप से कब्जा क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़ को सुपुर्द कर राजस्व अभिलेख में दर्ज करें व नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आवंटित/आरक्षित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जा सकेगा।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
O/C प्रतापगढ़

क्रमांक : राजस्व/भू.आ./2022–23/

दिनांक :– 17.08.2022

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार/विकास अधिकारी धरियावद/प्रतापगढ़
3. क्षेत्रिय वन अधिकारी, रैंज धरियावद/प्रतापगढ़/ देवगढ़
4. ग्राम पंचायत पहाड़ा/अणत पंचायत समिति धरियावद जिला प्रतापगढ़
5. ग्राम पंचायत नारायण खेड़ा पंचायत समिति प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आर. डी. एस. ए. माईनिंग एल.एल.पी उदयपुर
7. आदेश पंजिका।

जिला कलक्टर
O/C प्रतापगढ़

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक एफ.( ) सर्वे/उवसं/2020–21/ 4137 दिनांक :– 21-07-2023

निमित्

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर (राज.)

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त गैर वन भूमि को अधिसूचित कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरणों के तहत इस वन मंडल को जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रत्यावर्तन प्रकरणों में गैर वन भूमि का आवंटित तथा आरक्षित की गई है जिसे राज–पत्र में अधिसूचित कराना आवश्यक है। इसके प्रस्ताव बनाया जाकर श्रीमान् के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम	आवंटित गैर वन भूमि का विवरण					जिला कलक्टर का आदेश क्रमांक	नाम प्रस्तावित वनखंड
		खसरा न.		गांव/ तहसील	क्षेत्रफल है. में	नामान्तरण नं.		
1	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	2257/964	4.2092	पहाड़ा / धरियावद	45.50	1299/ 09.06. 2023	2535–45 / 17.08.2022	उपलाकोट
		2258/964	5.4435					
		2255/1457	5.9120					
		2252/1457	9.9846					
		2248/2070	19.9507					
		योग	**45.5 हे.**					
2	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	142/10	**13.50 हे.**	मियाला/ धरियावद	13.50	232/ 05.06. 2023	2535–45 / 17.08.2022	मियाला
3	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	453/88	7.0200 हे.	ग्राम–आमली खोरा/ प्रतापगढ़	16.00	345/ 06.07. 2023	2535–45 / 17.08.2022	आमलीखोरा A
		454/88	1.4600 हे.					
		455/88	0.0300 हे.					
		457/89	6.6500 हे.					
		458/89	0.4500 हे.					
		461/439	0.3900 हे.					
		योग	**16.00 हे.**					

4	Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land In Favour of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019 in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan	171 / 68	**10.50 है.**	सेवानगर / धरियावद	10.50	333 / 05.06. 2023	2207–13 / 31.05.2022	सेवानगर

उक्त भूमियों को राजपत्र में प्रकाशन हेतु निम्नलिखित रिपोर्ट एवं दस्तावेज 5 सेट में संलग्न है–

1. उक्तानुसार भूमियों की नवीनतम जमाबन्दी।
2. राजस्व मानचित्र पर प्राप्त भूमियों को लाल स्याही से दर्शाया गया है एवं साथ ही जी.टी. सिट पर दर्शाया गया है।
3. आंवटित गैर वनभूमि पर मौजूद वृक्षों के नाम।
4. प्राप्त भूमियों को जी.टी. सिट पर दर्शाया गया है।
5. निर्धारित प्रारूप में प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी कराने का प्रमाण–पत्र, विज्ञप्ति, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची।
6. जिला कलक्टर का गैर वन भूमि आवंटन का आदेश।
7. समस्त दस्तावेज को सी.डी. में अपलोड कर प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार
वन विभाग (क)
विज्ञप्ति

संख्या ....   दिनांक ....

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है ।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है :

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जॉच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप–धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहॉ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (3) के परन्तुक (proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा :

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज–पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे0 में
1	2	3	4	5	6	
1	उपलाकोट रेंज–धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम–पहाडा	2257/964	4.2092
					2258/964	5.4435
					2255/1457	5.9120
					2252/1457	9.9846
					2248/2070	19.9507
					योग	45.5 हेक्टर
				उत्तर :– गैर वन भूमि खसरा नम्बरः 964 एवं 1457 पूर्व :–गैर वन भूमि खसरा नम्बरः 964,2070 एवं खातेदारी भूमि 2070/2,2070/3,2070/5,2070/6 एवं 2070/16 दक्षिण :–गैर वन भूमि खसरा नम्बरः 2070,2070/7 एवं 2070/17 पश्चिम :–गैर वन भूमि खसरा नम्बरः 964 एवं 1457		

(हरि किशन सारसवत,भावसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण–पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड – **उपलाकोट**
रेंज – धरियावद्
वन मण्डल –प्रतापगढ़

ग्राम –पहाडा
तहसील –धरियावद्
जिला – प्रतापगढ़

1.– संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan कार्य हेतुजिला/वनमंडल प्रतापगढ में कुल 74.249 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या–FP/RJ/MIN/142599/2021)के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022–23/2535–45 दिनांक 17.08.2022.के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।

2.– वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।

3.– वर्तमान में 45.50 है. भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4.– भूमि पर वृक्षों का घनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन0.5 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,बेर, बांस, आंवला, चुरेल,खिरनी, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है ।

5.– समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) – भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।

6.– वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7.– प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8.– उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

तेजपाल मीणा
क्षैत्रीय वन अधिकारी
धरियावद्

(हरि किशन सारस्वत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

Office of the Deputy Conservator of Forests, Pratapgarh

प्रमाण–पत्र

Certificate of the range officer Dhariyawad on the boundary description of protected forest blocks of Uplakot range Dhariyawad

Certified that:-

1. I have personally inspected the forest and have drawn up these boundary description as per condition on the spot and to the best of my knowledge they are reasonably correct.
2. The revenue record in respect of these blocks has also been consulted.

S.no.	Proposed forest Block	Servey no.	Area	Mutation no.
1.	Uplakot Range - Dhariyawad.	2257/964	4.2092	1299 Dated09-06-2023
		2258/964	5.4435	
		2255/1457	5.9120	
		2252/1457	9.9846	
		2248/2070	19.9507	
		Total	45.5 ha.	

Dated:-

Signature of the
Range forest officer,
Dhariyawad.

(Stamp: ...पाल मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेन्ज-धरियावद)

Certified that the draft notification has been scrutinized properly and is in order. Further I have satisfied myself after inspecting proposed forest block Pahada Range Dhariyawad.

Dated:-

Signature of the
Deputy Conservator of Forests,
Pratapgarh

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड –उपलाकोट
रेंज – धरियावद
वन मण्डल – प्रतापगढ़

ग्राम –पहाडा
तहसील –धरियावद
जिला – प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तेंदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	खिरनी	Wrightia tinctoria
4	आंवल छाल	Cassia auriculata
5	आंकडिया	Holorrhena antidysenterica
6	बांस	Dendrocalamus strictus
7	चुरेल	Holoptel ea integrifolia Planch
8	आंवला	Emblica offici nalis Gaerth
9	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
10	ईमली	Tamarindus indica Linn.
11	करंज	Pongamia pinnata Linn.
12	बैर	Zizyphus oenoplia
13	बहेड़ा	Terminalia bellirica (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	Butea monosperma

क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद

(हरि किशन सारसवत,भावसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

राजस्थान सरकार

भूमि कब्जा हस्तान्तरण पत्र

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ./2022–23/2535–45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा तहसील धरियावद के राजस्व ग्राम पहाडा की निम्न वर्णित भूमियों को जो की वनभूमि के बदले गैर वनभूमि के रूप मे वन विभाग के नाम आंवटित/अन्तरित किए जाने का आदेष किया गया था।

उक्त भूमियो का वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जा चुका है तथा जंमाबदी की सत्यापित प्रति भी प्राप्त कर ली गई है।

क. स	तहसील क्षेत्र	राजस्व ग्राम	वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी संख्या		कुल रकबा हैक्टर में
			जिला कलेक्टर के आदेशानुसार वर्णित आराजी	तरमीम बाद नवीन आराजी	
01	धरियावद	पहाड़ा	964	2257/964	4.2092
02	धरियावद	पहाड़ा	964/1	2258/964	5.4435
03	धरियावद	पहाड़ा	1457	2255/1457	5.9120
04	धरियावद	पहाड़ा	1457/10	2252/1457	9.9846
05	धरियावद	पहाड़ा	2070	2248/2070	19.9507
		कुलकिता	05	05	45.5 हैक्टर

आज दिनांक 26/6/23 को उक्त वर्णित भूमियो का भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्दगी एवं हस्तान्तरण भूधारी सक्षम प्राधिकारी/प्रतिनिधी पटवारी चरी के जरिये द्वारा संबंधित वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्रभुदयाल मीणा को सिपुर्द कर दिया गया है। वनपाल नाका द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

प्रभुदयाल मीणा
नाका प्रभारी
वन नाका पहाड़ा
26/6/2023

कब्जा प्राप्तकर्ता
वन विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

पटवारी 26/6/23
पटवार मंडल चरी
तह.-धरियावद, जि.-प्रतापगढ़ (राज.)

कब्जा प्रदाता
राजस्व विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- पहाड़ा
पटवार हल्का :- चरी
भू.अभि.नि. :- केशरियावाद
तहसील :- धरियावद
जिला :- प्रतापगढ

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2073 - 2076 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 555
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग धरियावद हिस्सा- पूर्ण वन विभाग के अधीन भूमि,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
2248/2070	19.9507	वन	19.9507			स्वीकृत नामांतरकरण : 1299 09/06/2023 आवंटन	
2252/1457	9.9846	वन	9.9846				
2255/1457	5.9120	वन	5.9120				
2257/964	4.2092	वन	4.2092				
2258/964	5.4435	वन	5.4435				
कुल खसरे - 5	45.5000		45.5000				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।
नकल जारी करने की तिथि :- 24-Jun-2023

NIC

राजकार्य मे जारी की

पटवारी 26/6/23
पटवार मण्डल... चरी
तह.-धरियावद, जि.-प्रतापगढ़ (राज.)

Khasra Detail			
S.No.	Khasra no.	Land type	Total Khasra Area in Ha.
1	2248/2070	Forest. Land	19.9507
2	2252/1457	Forest. Land	9.9846
3	2255/1457	Forest. Land	5.9120
4	2257/964	Forest. Land	4.2092
5	2257/964	Forest. Land	5.4435
Total area		Forest. Land	45.5000

TOTAL AREA- 45.5000 Ha.

PROPOSED FOREST BLOCK UPLA KOT (Area 45.5 ha)

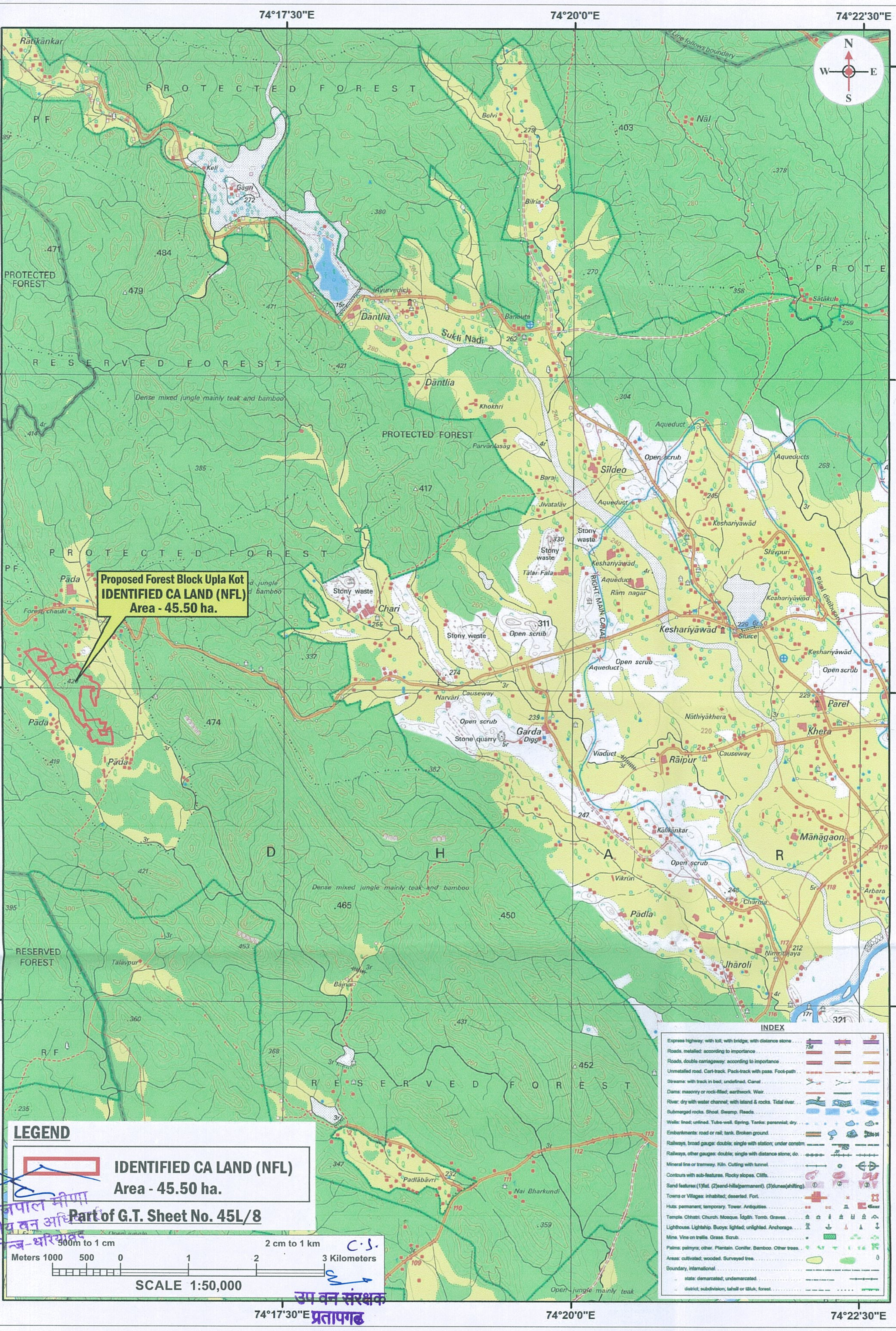

राजस्थान सरकार
वन विभाग (क)
विज्ञप्ति

संख्या .... दिनांक ....

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है ।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है :

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जॉच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप–धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहॉं तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (3) के परन्तुक (proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा :

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज–पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे0 में
1	2	3	4	5	6	
1	मियाला रेंज–धरियावद	धरियावद	प्रतापगढ़	ग्राम– मियाला	142/10	13.50 हे.
				उत्तर :–खसरा नम्बरः 10/1 ग्राम मियाला पूर्व :–खसरा नम्बरः 10 ग्राम मियाला दक्षिण :–खसरा नम्बरः 10/37,10/39 एवं ग्राम मियाला पश्चिम :–खसरा नम्बरः 10 ग्राम मियाला		

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण–पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड –मियाला
रेंज – धरियावद्
वन मण्डल –प्रतापगढ़

ग्राम –मियाला
तहसील –धरियावद्
जिला – प्रतापगढ़

1.– संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan कार्य हेतुजिला/वनमंडल प्रतापगढ में कुल 74.249 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या–FP/RJ/MIN/142599/2021)के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ के आदेश कंमाक राजस्व/भू. आ/प्रत्यावर्तन/2022–23/2535–45दिनांक 17.08.2022.के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।

2.– वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षेत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।

3.– वर्तमान में 13.50 है. भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4.– भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में 0.2 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है ।

5.– समीपवर्ती स्थित क्षेत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।

6.– वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हैं एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओं, सीमाओं एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7.– प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नहीं भेजने के कई कारण रहे हैं किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिससे कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्ध हो सके।

8.– उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

तेजपाल मीणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज धरियावद

क्षैत्रीय वन अधिकारी
धरियावद्

(हरि किशन सारस्वत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

Office of the Deputy Conservator of Forests, Pratapgarh

प्रमाण–पत्र

Certificate of the range officer Dhariyawad on the boundary description of protected forest blocks of Miyala ... range Dhariyawad

Certified that:-

1. I have personally inspected the forest and have drawn up these boundary description as per condition on the spot and to the best of my knowledge they are reasonably correct.
2. The revenue record in respect of these blocks has also been consulted.

S.no.	Proposed forest Block	Servey no.	Area	Mutation no.
1.	Miyala Range - Dhariyawad.	142/10	13.5 Ha.	232-Dt.05-06-2023

Dated:-

Signature of the
Range forest officer,
Dhariyawad.

Certified that the draft notification has been scrutinized properly and is in order. Further I have satisfied myself after inspecting proposed forest block Miyala Range Dhariyawad.

Dated:-

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

Signature of the
Deputy Conservator of Forests,
Pratapgarh

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड –मियाला
रेंज – धरियावद
वन मण्डल – प्रतापगढ़

ग्राम –मियाला
तहसील –धरियावद
जिला – प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तेंदू/टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	आंकडिया	Holorrhena antidysenterica
4	चुरेल	Holoptel ea integrifolia Planch
5	आंवला	Emblica offici nalis Gaerth
6	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
7	ईमली	Tamarindus indica Linn.
8	करंज	Pongamia pinnata Linn.
9	बैर	Zizyphus oenoplia
10	ढाक	Butea monosperma

तेजपाल मीणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
धरियावद
क्षेत्रीय वन अधि
रेन्ज-धरियावद

(हरि किशन सारसवत,भावसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

भूमि कब्जा हस्तान्तरण पत्र

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आदेश क्रमांक राजस्व/भू.आ./2022–23/2535–45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा तहसील धरियावद के राजस्व ग्राम मियाला की निम्न वर्णित भूमियों को जो की वनभूमि के बदले गैर वनभूमि के रूप मे वन विभाग के नाम आंवटित/अन्तरित किए जाने का आदेष किया गया था।

उक्त भूमियो का वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जा चुका है तथा जंमाबदी की सत्यापित प्रति भी प्राप्त कर ली गई है।

क. स	तहसील क्षेत्र	राजस्व ग्राम	वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड़ में दर्ज आराजी संख्या		कुल रकबा हैक्टर में
			जिला कलेक्टर के आदेशानुसार वर्णित आराजी	तरमीम बाद नवीन आराजी	
01	धरियावद	मियाला	10	142/10	13.50
		कुलकिता	01	01	13.5 हैक्टर

आज दिनांक 26-06-2023 को उक्त वर्णित भूमियो का भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्दगी एवं हस्तान्तरण भूधारी सक्षम प्राधिकारी/प्रतिनिधी पटवारी अणत के जरिये द्वारा संबंधित वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी प्रकाशसिंह शक्तावत वनपाल को सिपुर्द कर दिया गया है। वनपाल नाका द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

Babulal
पटवारी
पटवार हल्का अणत
त. धरियावद, जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

कब्जा प्रदाता
राजस्व विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

वनपाल
वन नाका मूंगाणा

कब्जा प्राप्तकर्ता
वन विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी (खेवट/खतोनी)
(प्रतिलिपि)

ग्राम का नाम :- मियाला
पटवार हल्का :- अणत
भू.अभि.नि. :- पारसोला
तहसील :- धरियावद
जिला :- प्रतापगढ

अंतिम चौसाला आधार सम्वत :- 2071 - 2074 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 88
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण धरियावद वन-विभाग,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
142/10	13.5000	वन 13.5000			स्वीक्रत नामांतरकरण : 232 05/06/2023 आवंटन	
कुल खसरे - 1	13.5000	13.5000				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |
नकल जारी करने की तिथि :- 24-Jun-2023

NIC

राजकीय प्रयोजनार्थ ।

पटवारी 26/06/23
पटवार हल्का अणत
त. धरियावद,जिला-प्रतापगढ़ (राज.)

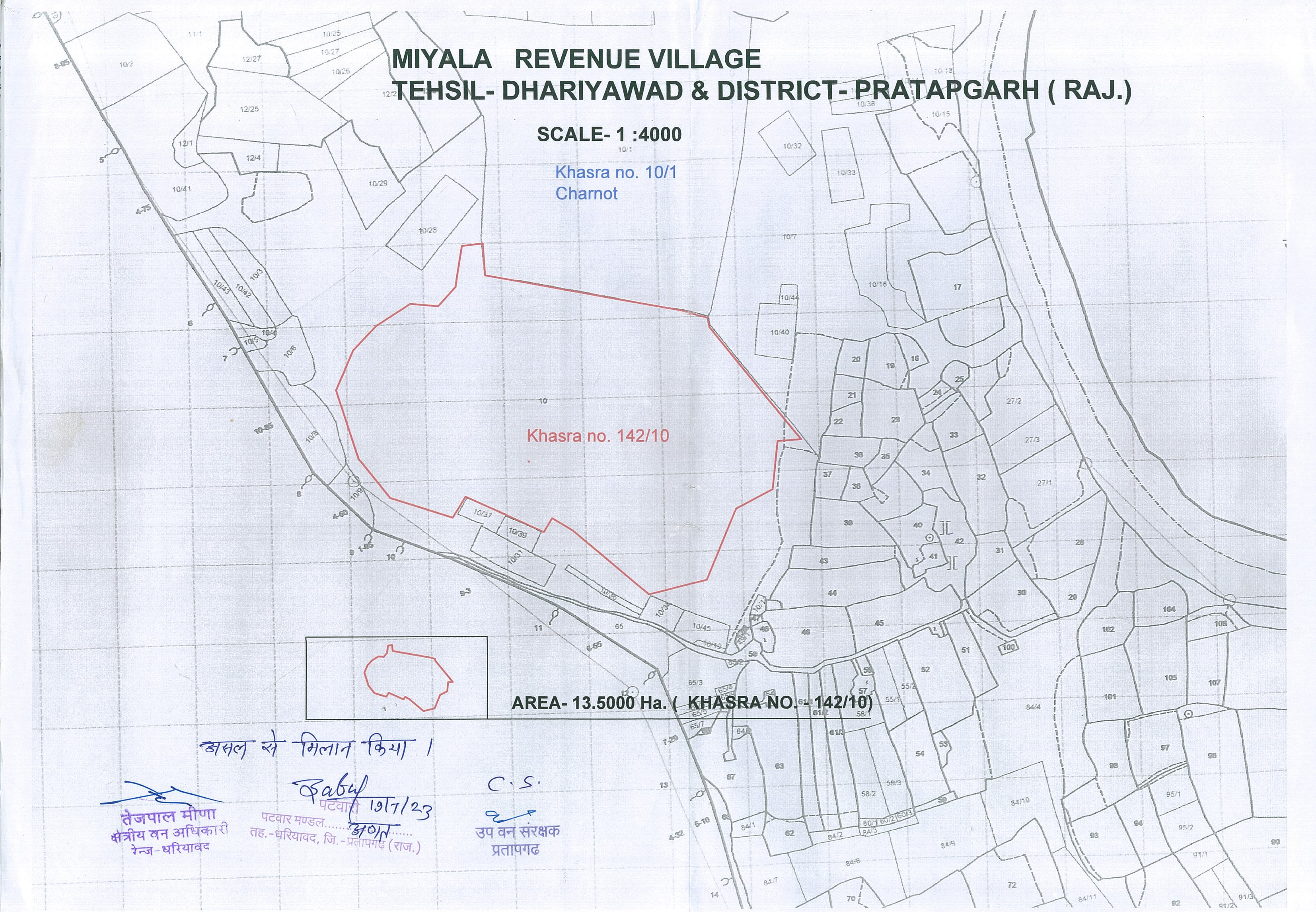

असल से मिलान किया ।

तेजपाल मीणा
क्षेत्रीय वन अधिकारी
रेन्ज-धरियावद

पटवारी 19/7/23
पटवार मण्डल......अणत......
तह.-धरियावद, जि.-प्रतापगढ़ (राज.)

C.S.

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

PROPOSED FOREST BLOCK MIYALA (Area 13.5 ha)

राजस्थान सरकार
वन विभाग (क)
विज्ञप्ति

संख्या ....   दिनांक ....

चूंकि इसके साथ संलग्न अनुसूची में बतलाई गई वनभूमि अथवा बंजरभूमि सरकार की सम्पत्ति है या उसमें सरकार स्वामित्वाधिकार रखती है अथवा सरकार उसकी सम्पूर्ण वनउपज या उसके किसी भाग की हकदार हैं। और चूंकि सरकार पंचायत भूमि और बंजरभूमि को राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 की उप धारा (1) के अधीन रक्षित वन घोषित करने का विचार रखती है ।

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा का अभी तक किसी प्रकार अभिलेखन नहीं किया गया है :

और चूंकि सरकार यह भी सोचती है कि पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उस पर सरकार अथवा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के प्रकार और सीमा के विषय में जॉच करवाना और उनका अभिलेखन कराया जाना आवश्यक है, परन्तु इस कार्य में इतना अधिक समय लग जावेगा कि जिसके बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचने की आशंका है।

अतः अब राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम, संख्या 13) की धारा 29 की उप–धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में सरकार एतद्द्वारा, वन बन्दोबस्त अधिकारी/सहायक वन बन्दोबस्त अधिकारी को पूर्वोक्त वन भूमि अथवा बंजर भूमि में या उन पर सरकार या प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की जांच तथा अभिलेखन करने के लिए नियुक्त करती है और ऐसी जांच व अभिलेखन, जहॉ तक व्यवहार्य हो, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 6, 7, 8, 10, 11 (1), 12, 14, 17, 18 और 19 में प्रावहित विधि के अनुसार ही किया जावेगा।

और उपर्युक्त अधिनियम की धारा 29 की उप–धारा (3) के परन्तुक (proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में राजस्थान सरकार पूर्वोक्त जांच और अभिलेखन होने तक एतद्द्वारा कथित वन भूमि और बंजर भूमि को रक्षित वन घोषित करती है, परन्तु इससे व्यक्तियों अथवा वर्गों के वर्तमान अधिकारों में कमी नहीं होगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा :

और उसकी धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रेतर अनुसरण में सरकार यह भी घोषित करती है कि इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में दिखाए गए कथित रक्षित वन में स्थित वृक्ष इस विज्ञप्ति के राज–पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से आरक्षित किये जाते है और पूर्वोक्त तारीख में कथित वन में किसी खदान से पत्थर निकालना या चूना या कोयला जलाना या किसी वन उपज का संग्रह किया जाना या किसी निर्माण प्रक्रिया या साधन बनाया जाना और कथित वन में किसी भूमि को कृषि के लिए या मकान बनाने के लिए या पशुपालन के लिए अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए तोड़ा जाना, साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन भूमि और बंजर भूमि)
द्वितीय अनुसूची (आरक्षित वृक्ष)

राज्यपाल की आज्ञा से,
शासन सचिव

प्रथम अनुसूची

संख्या	नाम ब्लाक	नाम तहसील	नाम जिला	सीमा	विवरण	
					खसरा नम्बर	रकबा हे0 में
1	2	3	4	5	6	
1	आमलीखोरा A रेंज–देवगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	ग्राम–आमलीखोरा	453/88	7.0200 हे.
					454/88	1.4600 हे.
					455/88	0.0300 हे.
					457/89	6.6500 हे.
					458/89	0.4500 हे.
					461/439	0.3900 हे.
					योग	**16.00 हेक्टर**
				उत्तर :– कृषि भूमि खसरा नम्बर 88/547,88/552,88/556 पूर्व :– गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नं. 89 दक्षिण :– गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 83 एंव 88,कृषि भूमि खसरा नम्बर 130,89/520 मौजा आमलीखोरा पश्चिम :– गैर वन भूमि मौजा आमलीखोरा खसरा नम्बर 84एवं88,		

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

प्रारंभिक विज्ञप्ति के प्रस्ताव के साथ उप वन संरक्षक द्वारा प्रमाण–पत्र
(जो लागू नहीं होता है उसे काट दे)

वनखण्ड – आमलीखोरा अ
रेंज – देवगढ़
वन मण्डल –प्रतापगढ़

ग्राम – आमलीखोरा A
तहसील – प्रतापगढ़
जिला – प्रतापगढ़

1.– संलग्न प्रारूप में दर्शाई गई भूमि का वर्गीकरण मगरी पायती है उक्त भूमि को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरण Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil- Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan कार्य हेतु जिला/वनमंडल प्रतापगढ में कुल 74.249 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन (आन लाईन आवेदन संख्या–FP/RJ/MIN/142599/2021)के प्रकरण में क्षर्तिपुरक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि का आवंटन जिला कलक्टर, प्रतापगढ के आदेश क्रंमाक राजस्व/भू.आ/प्रत्यावर्तन/2022–23/2535–45दिनांक 17.08. 2022.के द्वारा वन विभाग के पक्ष में किया गया। जिसे विज्ञप्ति के कॉलम 6 में विस्तृत रूप से खसरा नम्बरो का विवरण दर्शाया गया है।

2.– वर्तमान में भूमि राजस्व लेखों में वन विभाग के नाम दर्ज है तथा मौके पर विभाग द्वारा विकास कार्य कराया जाना है। इसमें कोई अतिक्रमण अथवा खनन कार्य नही हो रहा है। क्षैत्र को रक्षित वन घोषित कराना प्रस्तावित है।

3.– वर्तमान में 16.00 है. भूमि पर प्लान्टेशन एवं अन्य विकास कार्य कराये जाने है इनमें कोई खनन कार्य नही हुए है। भविष्य में अन्य क्षैत्रों में भी विकास कार्य कराये जाने की संभावना है।

4.– भूमि पर वृक्षों का धनत्व कुछ क्षेत्र में औसतन 0.3 है तथा कुछ क्षेत्र में नगण्य है। इस वनखण्ड में प्रमुख प्रजातियां सागवान, तेंदु, ढाक,कसोद, बांस, आंवला, चुरेल, शीशम, नीम इत्यादि प्राकृतिक रूप से विद्यमान है ।

5.– समीपवर्ती स्थित क्षैत्र राजस्व बंजर (राजस्व बंजर/चरागाह/खातेदारी/वन) – भूमि है तथा चारो और की सीमाओ का विस्तृत उल्लेख विज्ञप्ति के कॉलम 5 में कर दिया गया है।

6.– वनखण्डों के वांछित मानचित्र (नक्शे संलग्न हे एवं विज्ञप्ति में दिखाई गई दिशाओ, सीमाओ एवं स्थिति के अनुरूप है। प्रस्तावित वन क्षैत्रों की सीमा को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से इंगित किया गया है। प्रस्तावित क्षैत्र की जी.टी. शीट पर चिन्हित किया जाकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

7.– प्रस्तावित क्षैत्रों की विज्ञप्तियों के प्रारूप यथा विधि पूर्व में नही भेजने के कई कारण रहे है किन्तु अब उल्लेखित वनक्षैत्रों के कानूनी स्वरूप देने हेतु प्रचलित नियमों के अनुरूप शासकीय गजट का प्रकाशन होना नितान्त आवश्यक है, जिसके कि इन भूमियों पर वन विभाग का साक्ष्य सिद्व हो सके।

8.– उक्त वन भूमि का पूर्व में राजपत्र में प्रकाशन नही हुआ है।

क्षैत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़
Raghuveer Singh
Range Forest Officer
Devgarh

(हरि किशन सारसवत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

Office of the Deputy Conservator of Forests, Pratapgarh

प्रमाण–पत्र

Certificate of the range officer Devgarh on the boundary description of protected forest blocks of Aamlikhora range Devgarh.

Certified that:-

1. I have personally inspected the forest and have drawn up these boundary description as per condition on the spot and to the best of my knowledge they are reasonably correct.
2. The revenue record in respect of these blocks has also been consulted.

S.no.	Proposed forest Block	Servey no.	Area	Mutation no.
1.	Aamlikhora A range -Devgarh.	453/88	7.0200 हे.	345 Dated06-07-2023
		454/88	1.4600 हे.	
		455/88	0.0300 हे.	
		457/89	6.6500 हे.	
		458/89	0.4500 हे.	
		461/439	0.3900 हे.	
		Total	16.00	

Dated:-

Signature of the
Range forest officer,
Devgarh

Raghuveer Singh
Range Forest Officer
Devgarh

Certified that the draft notification has been scrutinized properly and is in order. Further I have satisfied myself after inspecting proposed forest block Aamlikhora Range Devgarh.

Dated:-

Signature of the
Deputy Conservator of Forests,
Pratapgarh

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

द्वितीय अनुसूची

वनखण्ड – आमलीखोरा
रेंज – देवगढ
वन मण्डल – प्रतापगढ़

ग्राम – आमलीखोरा A
तहसील – प्रतापगढ़
जिला – प्रतापगढ़

क्र.सं.	नाम प्रजाति (स्थानीय)	नाम प्रजाति (बोटेनिकल)
1	सागवान	Tectona grandis Linn.
2	तेंदू / टिमरू	Diospyros melanoxylon Roxb.
3	कसोद	Cassia siamea Linn
4	आंवल छाल	Cassia auriculata
5	शीषम	Dalbergia sissoo Roxb.
6	बांस	Bambusa arundinacea (Retz.)
7	चुरेल	Holopteliea integrifolia Planch
8	आंवला	Emblica officianalis Gaerth
9	नीम	Azadirachta indica A.Juss.
10	ईमली	Tamarindus indica Linn.
11	करंज	Pongamia pinnata Linn.
12	बैर	Zizyphus oenoplia
13	बहेड़ा	Terminalia bellerica (Gaerth) Roxb.
14	ढाक	Butea monosperma

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवगढ़
Range Forest Officer
Devgarh

(हरि किशन सारसवत,भावसे)
उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ

भूमि कब्जा हस्तान्तरण पत्र

कार्यालय जिला कलक्टर प्रतापगढ़ के आदेश कमांक राजस्व/भू.आ./2022–23/2535–45 दिनांक 17.08.2022 के द्वारा तहसील प्रतापगढ़ के राजस्व ग्राम आमलीखोरा की निम्न वर्णित भूमियों को जो की वनभूमि के बदले गैर वनभूमि के रूप मे वन विभाग के नाम आंवटित/अन्तरित किए जाने का आदेष किया गया था।

उक्त भूमियो का वन विभाग के नाम राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जा चुका है तथा जंमाबदी की सत्यापित प्रति भी प्राप्त कर ली गई है।

क. स	तहसील क्षेत्र	राजस्व ग्राम	वन विभाग के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी संख्या		कुल रकबा हैक्टर में	
			जिला कलेक्टर के आदेशानुसार वर्णित आराजी	तरमीम बाद नवीन आराजी		
01	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	439/83	461/439	0.39	
02	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	88	453/88, 454/88, 455/88	8.51	किता 3
03	प्रतापगढ़	आमलीखोरा	89	457/89, 458/89	7.10	किता 2
.		कुलकिता	03	06	16 हैक्टर	

आज दिनांक 10/07/2023 को उक्त वर्णित भूमियो का भौतिक रूप से कब्जा सुपुर्दगी एवं हस्तान्तरण भूधारी सक्षम प्राधिकारी/प्रतिनिधी हल्का पटवारी रामचन्द्र मीणा के जरिये द्वारा संबंधित वन विभाग के सक्षम प्राधिकारी दयाल पाटीदार (वनपाल रठांजना) को सिपुर्द कर दिया गया है। वनपाल नाका द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया है।

[signature] 10/07/2023

कब्जा प्रदाता
राजस्व विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

पटवारी
पटवार हल्का आमलीखेड़ा
तह.व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

दयाल
(दयाल पाटीदार)

कब्जा प्राप्तकर्ता
वन विभाग सक्षम प्राधिकारी
नाम, पदनाम हस्ताक्षर मय सील

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

ग्राम का नाम :- आमलीखोरा
पटवार हल्का :- नारायणखेड़ा
भू.अभि.नि. :- धमोतर
तहसील :- प्रतापगढ
जिला :- प्रतापगढ

सम्वत :- 2074 - 2077
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर
खाता संख्या नया :- 95
खाता संख्या पुराना :- 1

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग हिस्सा- पूर्ण खातेदार,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1/571	17.6700	मंगरी	17.6700			स्वीकृत नामांतरकरण : 345 06/07/2023 आवंटन	
453/88	7.0200	मंगरी	7.0200				
454/88	1.4600	मंगरी	1.4600				
455/88	0.0300	मंगरी	0.0300				
457/89	6.6500	मंगरी	6.6500				
458/89	0.4500	मंगरी	0.4500				
461/439	0.3900	वंजर	0.3900				
कुल खसरे - 7	33.6700		33.6700				

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

शामलात हेतु जारी की।

P-35/79

10 अगस्त 2023
पटवारी हल्का नारायणखेड़ा
तह व जि. प्रतापगढ़ (राज.)

ग्राम कोड –3314604200160105665

AAMLI KHORA REVENUE VILLAGE
TEHSIL & DISTRICT- PRATAPGARH (RAJ.)

SCALE- 1 :4000

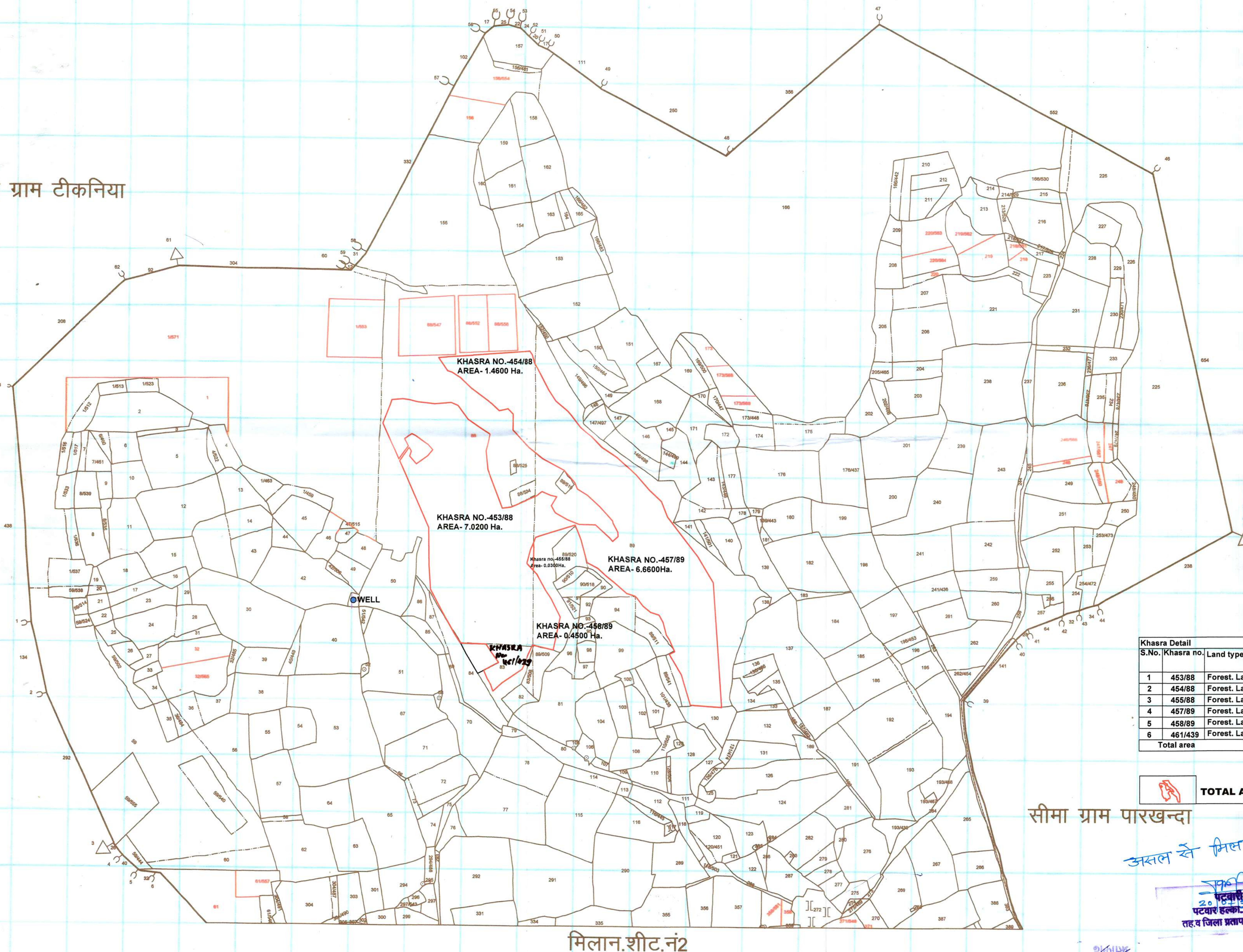

Khasra Detail			
S.No.	Khasra no.	Land type	Total Khasra Area in Ha.
1	453/88	Forest. Land	7.0200
2	454/88	Forest. Land	1.4600
3	455/88	Forest. Land	0.0300
4	457/89	Forest. Land	6.6500
5	458/89	Forest. Land	0.4500
6	461/439	Forest. Land	0.3900
Total area			16.000

TOTAL AREA- 16.000 Ha.

असल से मिलान किया।

पटवारी
पटवार हल्का
तह.व जिला प्रतापगढ़ (राज.)

Raghuveer Singh
Range Forest Officer
Devgarh

C.S.
उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़

भूप्रबन्ध विभाग – भीलवाड़ा
ग्राम –आमली खोड़ा
तहसील – प्रतापगढ़
जिला – प्रतापगढ़
सन् – 1980–1981
संवत् – 2036–2037

पैमाना 1 से.मी.= 40 मीटर
मैप स्केल– 1:4000

N
S

संकेत

- पुख्ता लाईन
- डैश–डोट लाईन
- डैश–डैश लाईन
- तरमीम लाईन
- ट्रावर्स लाईन
- ग्राम सीमा
- कुआँ
- तिरपटा
- आबादी
- तूदा
- आचा
- पाल
- मंदिर

जाँचकर्ता हस्ताक्षर

	नाम	हस्ताक्षर	दिनांक
पटवारी			
गिरदावर			
तहसीलदार			

सर्वे/मिसल बन्दोबस्त दिनांक :–
आनलाईन दिनांक :–

0 120 240 360

VENDOR NAME - WAPCOS LTD.

PROJECT NAME - DILRMP (BOR) AJMER

PROPOSED FOREST BLOCK AAMLIKHORA - A (16.0 ha)

घर-घर
औषधि योजना

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेतक सर्किल, उदयपुर–313001

email: ccf.udpur.forest@rajasthan.gov.in; Tel.no. 0294-2424748; 0294-2418137

क्रमांक एफ 8 (182 / नोटिफिकेशन) मुवसं / सर्वे / 2023–24 / 4710 दिनांक :– 01-08-2023

निमित्,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए,
राजस्थान, जयपुर।

विशयः– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत् प्राप्त गैर वनभूमि को अधिसूचित कराने के क्रम में।

प्रसंगः– उप वन संरक्षक, प्रतापगढ के पत्रांक एफ () सर्वे / उवसं / 2020–21 / 4137 दिनांक 21.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् भारत सरकार से स्वीकृत प्रकरणों हेतु गैर वनभूमि की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु प्राप्त उप वन संरक्षक, प्रतापगढ द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया हैः–

क.सं.	नाम संभाग	नाम वनमण्डल	प्राप्त गैर वनभूमि (है.)	प्रस्तावित वनखण्ड का नाम	प्रस्ताव का नाम	खसरा नम्बर / क्षेत्रफल (हैक्टय में)		क्षेत्रफल (हैक्टयर)	पत्र क्रमांक (उप वन संरक्षक.
1	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	45.5 है.	उपलाकोट	Diversion of 74.2490 ha. Forest land in favour of RDSA Mining LLP for open cast Marble Mining in Revenue Village-Danta, Tehsil- Piplkhunth, District Pratapgarh, Rajasthan.	2257 / 964	4.2092	45.50 है.	एफ () सर्वे / उवसं / 202–21 / 4137 दिनांक 21.07.2023
						2258 / 964	5.4435		
						2255 / 1457	5.9120		
						2252 / 1457	9.9846		
						2248 / 2070	19.9507		
						योगः–	45.5		
2	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	13.50 है.	मियाला	Diversion of 74.2490 ha. Forest land in favour of RDSA Mining LLP for open cast Marble Mining in Revenue Village-Danta, Tehsil- Piplkhunth, District Pratapgarh, Rajasthan.	142 / 10	13.50	13.50 है.	एफ () सर्वे / उवसं / 202–21 / 4137 दिनांक 21.07.2023
3	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	16.00 है.	आमलीखोरा "A"	Diversion of 74.2490 ha. Forest land in favour of RDSA Mining LLP for open cast Marble Mining in Revenue Village-Danta, Tehsil- Piplkhunth, District Pratapgarh, Rajasthan.	453 / 88	7.0200	16.00 है.	एफ () सर्वे / उवसं / 202–21 / 4137 दिनांक 21.07.2023
						454 / 88	1.4600		
						455 / 88	0.0300		
						457 / 89	6.6500		
						458 / 89	0.4500		
						461 / 439	0.0900		
						योगः–	16.00		
4	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	उप वन संरक्षक, प्रतापगढ	10.50 है.	सेवानगर	Diversion of 10.4162 ha. Forest land in favour of RDSA Mining LLP for open cast Marble Mining (Plot No. 02/2019 in Revenue Village- Kela Mela] Tehsil- Piplkhunth, District Pratapgarh, Rajasthan	171 / 68	10.50	10.50 है	एफ () सर्वे / उवसं / 202–21 / 4137 दिनांक 21.07.2023

Signature valid
Digitally signed by Rajkumar Singh
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.08.01 13:52:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4374127

घर-घर
औषधि योजना

वन (संरक्षण) अधिनिम, 1980 द्वार जारी स्वीकृति में अधिरोपित शर्तोनुसार ही उक्त आंवटित गैरवनभूमि को रक्षित वनभूमि घोषित कराया जाकर अधिसूचना की विज्ञप्ति का प्रकाशन राजपत्र में कराया जाना है। अतः उप वन संरक्षक, प्रतापगढ से प्राप्त मूल प्रस्ताव 6 प्रतियों में मय सी.डी. के गैरवनभूमि को राजपत्र में अधिसूचित कराने हेतु इस कार्यालय की सहमति के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार। (मूल प्रस्ताव 3+ 3 = 6 प्रतियों में मय सी.डी.के)

भवदीय,

(आर.के.सिंह)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

कमांक एफ 5 ( ) मुवसं / सर्वे / 2021–22 / दिनांक :–

प्रतिलिपिः–उप वन संरक्षक, प्रतापगढ को उनके पत्रांक 4137 दिनांक 21.07.2023 के कम में सूचनार्थ प्रेषित है।

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Rajkumar Singh
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.08.01 13:52:53 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4374127

कार्यालय उप वन संरक्षक, प्रतापगढ़ (राज.)

क्रमांक एफ.( ) सर्वे / उवसं / 2020–21 / 4137 दिनांक :– 21-07-

निमित्

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर (राज.)

4409
24/7/23

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्राप्त गैर वन भूमि को अधिसूचित कराने के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रत्यावर्तन प्रकरणों के तहत इस व मंडल को जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निम्नलिखित प्रत्यावर्तन प्रकरणों में गैर वन भू का आवंटित तथा आरक्षित की गई है जिसे राज–पत्र में अधिसूचित कराना आवश्यक है। इसके प्रस्ताव बना जाकर श्रीमान् के समक्ष उचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

क्र. सं.	प्रत्यावर्तन प्रकरण का नाम	आवंटित गैर वन भूमि का विवरण					जिला कलक्टर का आदेश क्रमांक	नाम प्रस्तावित वनखंड
		खसरा न.		गांव / तहसील	क्षेत्रफल है. में	नामान्तरण नं.		
1	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	2257 / 964	4.2092	पहाड़ा / धरियावद	45.50	1299 / 09.06. 2023	2535–45 / 17.08.2022	उपलाकोट
		2258 / 964	5.4435					
		2255 / 1457	5.9120					
		2252 / 1457	9.9846					
		2248 / 2070	19.9507					
		योग	**45.5 हे.**					
2	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	142 / 10	**13.50 हे.**	मियाला / धरियावद	13.50	232 / 05.06. 2023	2535–45 / 17.08.2022	मियाला
3	Diversion of 74.2490 Ha. Forest Land In Favour Of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining in Revenue Village - Danta, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan .)	453 / 88	7.0200 हे.	ग्राम–आमली खोरा / प्रतापगढ़	16.00	345 / 06.07. 2023	2535–45 / 17.08.2022	आमलीखोरा A
		454 / 88	1.4600 हे.					
		455 / 88	0.0300 हे.					
		457 / 89	6.6500 हे.					
		458 / 89	0.4500 हे.					
		461 / 439	0.3900 हे.					
		योग	**16.00 हे.**					

FCA Put up 24/7

4	Diversion of 10.4162 Ha. Forest Land In Favour of RDSA MINING LLP For Opencast Marble Mining (Plot No.02/2019 in Revenue Village – Kela Mela, Tehsil-Pipalkhunth, District – Pratapgarh, Rajasthan	171/68	**10.50 है.**	सेवानगर / धरियावद	10.50	333/ 05.06. 2023	2207–13 / 31.05.2022	सेवानगर

उक्त भूमियों को राजपत्र में प्रकाशन हेतु निम्नलिखित रिपोर्ट एवं दस्तावेज 4 सेट में संलग्न है–

1. उक्तानुसार भूमियों की नवीनतम जमाबन्दी।
2. राजस्व मानचित्र पर प्राप्त भूमियों को लाल स्याही से दर्शाया गया है एवं साथ ही जी.टी. सिट पर दर्शाया गया है।
3. आंवटित गैर वनभूमि पर मौजूद वृक्षों के नाम।
4. प्राप्त भूमियों को जी.टी. सिट पर दर्शाया गया है।
5. निर्धारित प्रारूप में प्रारंभिक विज्ञप्ति जारी कराने का प्रमाण–पत्र, विज्ञप्ति, प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची।
6. जिला कलक्टर का गैर वन भूमि आवंटन का आदेश।
7. समस्त दस्तावेज को सी.डी. में अपलोड कर प्रेषित है।

उप वन संरक्षक,
प्रतापगढ़

उप वन संरक्षक
प्रतापगढ़